-1-

178

BEFORE THE BOARD OF REVENUE GWALIOR,

GWALIOR (M.P.)

Case No. ________ of 2013

R-3858-I/13

APPLICANT : **Smt. Rekha Barsaiya**
W/o Shri Kamlesh Barsaiya,
Aged about 36 Years,
R/o Ajad Chowk, District- Katni (M.P.)

VERSUS

RESPONDENTS : 1. Heera Lal
S/o Shri Babulal Bhagat,
R/o Nadipar, Kailwara Road,
District- Katni (M.P.)

2. Vijay Singh
S/o Shri Rajendra Pal Singh Thakur,
R/o Ajad Chowk, District- Katni (M.P.)

281

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
25 SEP 2013
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

REVENUE REVISION UNDER SECTION 50 OF THE M.P. LAND REVENUE CODE, 1959

Being aggrieved by an order dated 23.08.2013 passed by Shri N.S. Bhatnagar, Additional Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur in Appeal Case No. 135/A70/12-13 in between Smt. Rekha Barsaiya Vs. Heeralal and another, the applicant begs to prefer the instant revision on the following facts and grounds:

FACTS OF THE CASE:

1. That, the respondent No. 1 filed an application U/s 250 of the M.P. Land Revenue, 1959 and in the application it was pointed out that the applicant is a permanent resident of Nadipar Katni and he has purchased the part of land bearing Survey No. 141/1 measuring 0.025 Hectare situated at Indira Gandhi Ward Katni by a registered sale deed from the sellers minors Laxmi Prasad & Amit Kumar

2 SEP 201

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3858–एक/13 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक अपील 135/अ–70/12–13 में पारित आदेश दिनांक 23–8–13 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पेश किया गया जिसमें आवेदिका द्वारा अतिक्रमण से इंकार किया गया और कहा गया कि जो भूमि उसके कब्जे में वह उसने पंजीकृत बैनामे से कय की है । विचार न्यायालय ने आदेश दिनांक 19–2–08 द्वारा कब्जा हटाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी, कटनी के न्यायालय में अपील की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 30–6–08 द्वारा स्वीकार की एवं विचारुण न्यायालय का आदेश निरस्त किया एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को सीमांकन तथा उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपर आयुक्त ने निरस्त की । प्रकरण के प्रत्यावर्तन उपरांत विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 21–12–11 द्वारा आवेदिका के विरूद्ध आदेश पारित किया । विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।	

निग.- 3858-II/13 (क्रमशः)

XXXIX(a)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ए अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई दिनांक को लिखित तर्क पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क पेश नहीं किये गये हैं । 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं आवेदिका के विक्रय पत्र में चौहद्दी गलत लिखी थी जबकि अनावेदकों के विक्रयपत्र में सही चौहद्दी वर्णित थी । 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि आवेदिका रेखा द्वारा दिनांक 10–11–15 को वादग्रस्त भूमि कय की गई थी और विकयपत्र में चौहद्दी तथा खसरा नंबर दोनों ही गलत लिखे थे दिनांक 30.10.06 को आवेदिका द्वारा विकयपत्र में संशोधन कराया गया और संशोधन केवल खसरा नंबर का संशोधन किया गया चौहद्दी में कोई संशोधन नहीं कराया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि अनावेदक द्वारा अवैध कब्जा हटाने का आवेदन विचारण न्यायालय में दिनांक 18–9–06 को दिया गया है जो समयसीमा में है । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर यह पाया है कि विवादित स्थल पर विकेता का केवल 45 60 शेष था जो अब भी है और आवेदिका द्वारा अनावेदक के रिक्त प्लाट के दक्षिण में 15 60 भाग पर दीवाल बनाई गई है इस कारण विचारण न्यायालय ने आवेदिका को बेदखल करने का आदेश दिया है । उक्त आधार पर अपर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3858-एक/13 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त ने यह मानते हुए कि आवेदिका द्वारा विकयपत्र में चौहद्दी का सुधार नहीं कराया गया एवं विकय उपरांत बटांकन एवं नक्शा नहीं सुधार नहीं कराया गया है अतः उसके द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने का जो आदेश विचारण न्याालय द्वारा दिया गया है वह उचित है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तथा अभिलेख को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश पूर्णतःया विधिसम्मत, उचित, न्यायिक और समतामय है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	